2.28

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

भू – गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0–05 / विविध / 2014

Geological Assessment of the alignment corridore proposed for Aadichaura to Sinni motor road, Distt. Pithoragarh.

07–अक्टूबर–2014

Geological Assessment of the alignment corridore proposed for Aadichaura to Sinni motor road, Distt. Pithoragarh.

Vijay Dangwal

07-10-2014

1- Introduction:- The PMGSY Division, Didihat has proposd the construction of 13.00 km long motor road, namely Aadichaura to Sinni motor road in Munisiyari Block, Distt. Pithoragarh. The undersigned carried out the geological assessment of the proposed alignment corridor of this road on 06.07.2014 on the request made by M/S Shyam Designers and Consultants. The stretch of the present alignment between CH 00/00 to CH 2/0 encompasses already constructed LVR while the remaining CH 2/0 to CH 13/0 proposed new construction.

2- Location:- The alignment corridore proposed for Aadichaura to Sinni motor road is located in Munisiyari Block of Distt. Pithoragarh.

3- Geological Assessment:- Geologically the proposed alignment corridor of Aadichaura to Sinni motor road lies in the Inner Lands of Kumaon Lesser Himalaya, which falls in the close vicinity of Main Central Thrust (MCT). The area containing the proposed alignment is occupied by the dolomites of Doban and Mandhali formation (Tejam), quartzites of Berinag formation and varieties of schists belonging to Almora Group. As the area very close to the Thrust zones the rocks exposed in it got highly deformed sheared, shattered and tectonized. The grade of metamorphism has also increased due to the affect of the thrust plane. The cross slope facets of the proposed alignment are inclined at moderate to steep angle and these are marked by the scanty outcrop of in-situ rock masses largely the alignment slopes are covered by the thin cover of overburden comprised of residual soils, slope wash and hill wash material. The rock masses exposed along the alignment corridor are hard, compact and slightly weathered in nature on the one hand and weak, fragile and highly weathered on the other hand Interbedded bands bearing least competent talcose and sericite substantially bring down the physical competency of hard rock masses. The dolomites exposed on the cross slopes of alignment are very frequently jointed in nature and their Rock Quality Designation (RQD) percentage has been calculated ranging between 60% to 80% . The granites, granodiorites and varieties of schists belonging to Almora group largely contains minerals susceptible for weathering alterations. It has been observed that at places the alignment slopes are prone to underfo deformation under the alteration of slope geometry. The rock masses exposed along the alignment corridor exhibits wide range of physical competencies and their "Uniaxial Compressive Strength" has been estimated ranging between 20 M Pa to 150 M Pa, The talcose, quartzites and schists are least competent rocks in the area of alignment while the massive, blocky bands of quartzites were found most competent. The rock masses exposed across the

alignment slopes have been dissected by numerous joint sets which are listed in the following Table.

TABLE

S.No	Feature	Dip angle	Azimuth
1	2	3	4
1	J_1 joint	45	N210
2	J_2 joint	28	N160
3	J_3 joint	35	N 055
4	J_4 joint	78	N115 (random set)
5	J_5 joint	54	N350

All the joint sets are linear close to widely spaced and at places they are opened and infilled by the soils and crushed rock material.

The nature of the composite soils forming the cross slopes of the present alignment changed very frequently from place to place. Sometimes these are hard, stiff and sometimes very soft and loose. By and large the soils are dense and naturally compact.

It has been noticed that the proposed alignment across some small areas prone to sliding, which needs stabilization during the construction of this road and for this frequent geological inspections will be required.

On the basis of the above and the study carried at the site the following recommendations are being made for construction of the proposed road failing to these the report will be treated as cancelled.

4- Recommendations:-

1- In order to form the road excavate the hill slopes as per the provisions, standards, codes of practice adopted by PMGSY.
2- In the area deprived of vegitational cover old/ historical slides the surface of the road must be sealed in order to check the water infiltration.
3- In order to form the road any type of blasting by explosives on the rocks is geologically restricted.
4- The entire road and the slopes must be stabilized by constructing suitable designed retaining/brest walls.
5- Blasting by explosives on the rocks is geologically restricted.

6- The entire road and the slopes must be stabilized by constructing suitably designed retaining/brest walls.
7- The road must have adequate provisions of long cross drains and the drained water must be disposed on the stable ground.
8- The entire exposed surface of the road must be sealed by black top in order to check the water infiltration into the subsurface material.
9- All the construction activities must be carried out as per the codes of practice, laid by the IRC/MORTH.

7/10/14

(Vijay Dangwal)
Sr. Geologist
Office of the Engineer in Chief,
PWD Dehradun.

प्रपत्र–25

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land to be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted steep hill slope as also to be avoided
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical Engineers and Geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground Engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as :-

1. Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the extent possible.
2. Blasting by explosives is to be restricted to the minimum Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for aniline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process
3. All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants

In certain selected unstable areas terraced has also been plasticized as a stabilizing measure with god results

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guide lines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० धारचूला	सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० धारचूला	अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० धारचूला

प्रपत्र–26

परियोजना का नाम :– **जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित् नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यापक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियो पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनाँक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गो को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खण्डे वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटि्टयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
पी0एम0जी0एस0वाई.	पी0एम0जी0एस0वाई.	पी0एम0जी0एस0वाई.
लो0नि0वि0	लो0नि0वि0	लो0नि0वि0
धारचूला	धारचूला	धारचूला

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि0मी0) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगायी गयी मानक शर्ते प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

कनिष्ठ / अ0 सहा0 अभि0	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0	पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0	पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0
धारचूला (पिथौरागढ)	धारचूला (पिथौरागढ)	धारचूला (पिथौरागढ)

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 किमी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

टास्क फोर्स एवं भू–वैज्ञानिक की शर्तो का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स एवं भू–वैज्ञानिक द्वारा प्रदत्त संस्तुतियां प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

कनिष्ठ / अ0 सहा0 अभि0 पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 धारचूला (पिथौरागढ)	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 धारचूला (पिथौरागढ)	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 धारचूला (पिथौरागढ)

प्रपत्र–27

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि० धारचूला	सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि० धारचूला	अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि० धारचूला
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र... सिनौसिया .... तह०.... मुनस्यारी .... (राजस्व उपनिरीक्षक)	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाव पिथौरागढ़	ह०/– (तहसीलदार) तहसीलदार मुनस्यारी(पिथौरागढ़)

ह०/–
जिला अधिकारी
(जिलाधिकारी) पिथौरागढ़

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति ना पहुचाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण कार्य / रखरखाव के दौरान वन्य जीवों / स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुचाया जायेगा।

कनिष्ठ / अ० सहा० अभि०
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ)

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ)

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि0मी0) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ/अ0 सहा0 अभि0 पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 धारचूला (पिथौरागढ़)	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 धारचूला (पिथौरागढ़)	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 धारचूला (पिथौरागढ़)

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि0मी0) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों/परिवारों/जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क0सं0	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या	
			कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति/जनजाति
1	सिन्नी	895300	254	

कनिष्ठ/अ0 सहा0 अभि0
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0
धारचूला (पिथौरागढ)

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0
धारचूला (पिथौरागढ)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0
धारचूला (पिथौरागढ)

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि0मी0) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0 पी0 वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता नियता निम्नानुसार है —

1. ईको — क्लास श्रेणी — 6 (VI)
2. हरियाली का घनत्व — ~~0.1 - 0.2 %~~ .4
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रू0 — ~~6.99 lakh / Hect~~ 897000/—
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल — ~~8.100 है0~~ 10.35 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि — ~~72.35 lakh~~ 9283950/—

ह0
वन क्षेत्राधिकारी
डीडीहाट वन क्षेत्र
वन क्षेत्राधिकारी

ह0
प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिच सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि0मी0) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्त प्रस्ताव।

एन0 पी0 वी0 की धनराशि जमा किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेंस वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनरा भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ठ / अ0 सहा0 अभि0	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0	पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0	पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0
धारचूला (पिथौरागढ)	धारचूला (पिथौरागढ)	धारचूला (पिथौरागढ)

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि0मी0) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आर0सी0सी0 पिलरों की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीमांकन हेतु आर0सी0सी0 पिलरों की धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनविभाग को कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ / अ0 सहा0 अभि0 पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 धारचूला (पिथौरागढ)	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 धारचूला (पिथौरागढ)	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 धारचूला (पिथौरागढ)

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)—

सिविल सोयम भूमि	—	2.250 है0
निजी भूमि	—	~~1.800~~ 2.045 है0
आरक्षित वन भूमि	—	8.100 है0
योग	—	~~13.269~~ 12.395 है0

2. प्रस्तावक विभाग का नाम — पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0 धारचूला।

3. वन प्रभाग का नाम — पिथौरागढ वन प्रभाग।

4. प्रस्ताव बाइंडिग किया गया है — हाँ/नहीं ✓

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है — हाँ/नहीं ✓

6. क्या भारत सरकार के प्रारुप के भाग—1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। — हाँ/नहीं ✓

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनाँक व स्थान भरा गया है। — हाँ/नहीं ✓

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। — हाँ/नहीं ✓

9. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है — हाँ/नहीं ✓

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण—पत्र संलग्न है। — हाँ/नहीं ✓

11. बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। — हाँ/नहीं ✓

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है — हाँ/नहीं ✓

13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। — हाँ/नहीं

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है — हाँ/नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है — हाँ/नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है — हाँ/नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है — हाँ/नहीं

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है — हाँ/नहीं

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है — हाँ/नहीं

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है — हाँ/नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) — हाँ/नहीं

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रंगो से भरा गया है — हाँ/नहीं

23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दू किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है — हाँ/नहीं

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है — हाँ/नहीं

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये। — हाँ/नहीं

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शायें गये है — हाँ/नहीं

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) – हाँ/नहीं

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) – हाँ/नहीं

29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है – हाँ/नहीं

30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है – हाँ/ नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण–प्रत्र संलग्न है– हाँ/नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है – हाँ/नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है – हाँ/नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है – हाँ/नहीं

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण–पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि० धारचूला	सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि० धारचूला	अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि० धारचूला

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
वन प्रभाग पिथौरागढ
पिथौरागढ़